न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला–बडवानी (म०प्र०)

आपराधिक प्रकरण कमांक 06 / 2010 संस्थन दिनांक 04.01.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला–बड़वानी (म.प्र.)

----अभियोगी

<u>विरुद्ध</u>

- वसीम पिता मोहम्मद रफीक, आयु 28 वर्ष, निवासी—सावेर, थाना सावेर, जिला इन्दौर
- मिथुन पिता अशोक, आयु 28 वर्ष,
 निवासी—ग्राम टोककला, थाना टोक खुर्द जिला—देवास म.प्र.
- रशीद पिता गुलजार, आयु 30 वर्ष,
 निवासी—ग्राम नरसिंहगा, थाना ईगोरिया जिला—उज्जैन म.प्र.
- 4. अंतिम जैन पिता हुकुमचंद जैन, आयु 29 वर्ष निवास— एम.जी. रोड़, गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर म.प्र.

----अभियुक्तगण

/ / <u>निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 28.02.2015 को घोषित)

पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध कमांक 111/2009 अंतर्गत धारा ४५७, ३८०, ४११ भा.दं.सं. में दिनांक ०४.०१.२०१० को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण वसीम, मिथन् व रशीद के विरूद्ध दिनांक 26 व 27.05.2009 की मध्य रात्रि में 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे के मध्य दवाना रोड़ ठीकरी पर स्थित वैदेही गैस एजेंसी के गैं टंकी गौदाम में, जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, लोहे का वेंटिलेशन निकाल कर उसमें चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्री गृहभेदन कारित करने, सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आने वाले गोदाम से वैदेही गैस एजेंसी के आधिपत्य की 107 एच. पी. गैस की टंकिया सक्षम व्यक्ति की अनुमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी करने तथा अभियुक्त अंतिम जैन के विरूद्ध दिनांक 27.05.2009 से दिनांक 01.11.2009 के मध्य गौतमपुरा में एच.पी. गैस की 107 टंकिया यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वे चुराई हुई सम्पत्ति है, बेईमानी से लेने के आशय से सह अभियुक्तगण से प्राप्त करने के संबंध में अभियुक्तगण वसीम, मिथनु व रशीद पर धारा 457, 380 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त अंतिम जैन पर धारा ४११ भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है

- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी चन्द्रशेखर वैदेही गैस एजेंसी ठीकरी में मैनेजर के पद पर पदस्थ था। दवाना रोड़ पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वैदेही गैस गोडाउन है, जहाँ एच.पी. कम्पनी की भरी तथा खाली गैस टंकिया रखी जाती है उक्त गोडाउन में 435 टंकिया खाली, 217 टंकिया भरी तथा 19 के.जी., 126 के.जी. तथा 5 के.जी. की 8 गैस टंकिया रखी हुई थी। घटना दिनांक 26-27/05/2009 को रात्रि लगभग 9:00 बजे फरियादी चन्द्रशेखर चेक कर गोडाउन में ताला लगाकर आ गये थे। प्रातः 10 बजे फरियादी चन्द्रशेखर, सचिन, महेन्द्र गुप्ता, रतिलाल राठौड़ एवं चालक विनोद वाहन लेकर गोडाउन पर गैस टंकिया लेने गये जहाँ गेट तथा गोडाउन का ताला खोलकर अंदर गये और देखा कि गोडाउन का उत्तर दिशा का नीचे का लोहे का वेंटिलेशन निकला होकर दीवार में छेद दिखाई दिया तथा टंकिया चेक करने पर 107 गैंस टंकिया नहीं थी, जिसे रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वेंटिलेशन तोडकर गैस गोडाउन में घुसकर गैस की टंकिया चुराकर ले गये। पुलिस ने फरियादी चन्द्रशेखर द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 111/2009 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्व कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्व की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी चन्द्रशेखर की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, अभियुक्त अंतिम जैन से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन क्रमशः प्रदर्शपी 3 व 4 बनाये, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त वसीम, राकेश एवं पप्पु से पुछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन क्रमशः प्रदर्शपी 7, 8 व 9 बनाये, अभियुक्त रसीद शाह, वसीम से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन कुमशः प्रदर्शपी 14 व 15 बनाये, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त अंतिम जैन से एच.पी. कम्पनी की खाली 20 गैस टंकियों को जप्त कर प्रदर्शपी 5 का तथा अभियुक्त अंतिम जैन से एच.पी. कम्पनी की 5 गैस टंकियों को जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त वसीम, रशीद शाह, अंतिम जैन एवं मिथुन को गिरफ्तार कर कमशः प्रदर्शपी 10 लगायत 13 के गिरफतारी पंचनामें बनाये, ने अनुसंधान के दौरान फरियादी चन्द्रशेख, विनोद, रतिलाल व सचिन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा ४५७, ३८०, ४११ भा.द.सं. में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण वसीम, राजेश उर्फ राकेश, गणेश, मिथनु, रशीद के विरुद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. एवं अभियुक्त अंतिम जैन के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 411 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है। अभियुक्त पप्पु एवं राजेश उर्फ राकेश की लगातार अनुपस्थिति के कारण द.प्र.स. की धारा 317 (2) के अंतर्गत उनका विचारण पृथक किया जाकर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तथा शेष अभियुक्तों का निर्णय किया जा रहा है।
- 5. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है :--
 - 1. क्या दवाना रोड़ ठीकरी पर स्थित वैदेही गैस एजेंसी के गैंस टंकी गौदाम में दिनांक 26 व 27.05.2009 की मध्य रात्रि में 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे के मध्य लोहे का वेंटिलेशन निकाल कर, जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आने वाले गोदाम से वैदेही गैस एजेंसी के आधिपत्य की 107 एच.पी. गैस की टंकिया सक्षम व्यक्ति की अनुमित के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी तथा प्रच्छन्न गृह अतिचार हुआ था ?
 - क्या उक्त चोरी एवं रात्रोप्रच्छन्न गृह भेदन अभियुक्तगण वसीम, मिथुन व रशीद द्वारा कारित की गई थी ?
 - 3. क्या अभियुक्त अंतिम जैन ने दिनांक 27.05.2009 से दिनांक 01.11.2009 के मध्य गौतमपुरा में एच.पी. गैस की 107 टंकिया यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वे चुराई हुई सम्पत्ति है, बेईमानी से लेने के आशय से सह अभियुक्तगण से प्राप्त की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में फरियादी चन्द्रशेखर (अ.सा.1), विनोद (अ.सा.2), रितलाल (अ.सा.3), प्रदीप (अ.सा.4), तरून (अ.सा.5), हीरालाल (अ.सा.6), निरीक्षक बद्रीलाल भाभर (अ.सा.7) एवं सीताराम चोपड़ा (अ.सा.8) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 1 के संबंध में

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी चन्द्रशेखर अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया कि वर्ष 2004 से वैदेही गैस एजेंसी में ठीकरी में मैनेजर है। दिनांक 27.05.2009 को प्रातः 9:30—10 बजे वे गैस एजेंसी के गोडाउन दवाना रोड़ पर गये थे, गोदाम पर जाकर देखा कि नीचे लगे हुए वेंटिलेशन की जाली टूटी हुई थी और ऊपर कुछ ईंटें भी निकली हुई थी, उस समय उसके साथ एजेंसी के चार—पॉच डिलेवरी वाले व्यक्ति भी थे। गोडाउन का ताला खोलकर वह अंदर गये और देखा कि टूटे हुए वेंल्टिलेशन के पास रखे हुए गैस के भरे हुए सिलेण्डर कम थे। उनके स्टॉक रजिस्टर के मान से 107 सिलेण्डर चोरी हो गये थे। गैस सिलेण्डर को गिनकर भी चेक किया था। कोई अज्ञात व्यक्ति वेल्टिलेशन की जाली जोड़कर गैस सिलेण्डर चुराकर ले गये थे। उसने थाना ठीकरी पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 8. विनोद अ.सा. 2, रितलाल अ.सा. 3, ने भी वैदेही गैस एजेंसी के गोदाम में 107 गैस सिलेण्डर चोरी होने के संबंध में कथन किये हैं। सीताराम चौपड़ा अ.सा. 8 ने दिनांक 27.05.2009 को थाना ठीकरी में चन्द्रशेखर द्वारा उनकी गैस गौदाम में 107 सिलेण्डर चोरी करने की रिपोर्ट लिखाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अपराध क्रमांक 111/09 प्रदर्शपी 1 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त किसी भी साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि घटना दिनांक, समय पर वैदेही गैस एजेंसी के गोदाम के वहाँ वेल्टिलेशन का ताला तोड़कर रात्रि गृह भेदन या गृह अतिचार और वहाँ रखे 107 गैस सिलेण्डरों की चोरी नहीं हुई थी। अतः यह प्रमाणित होता है कि घटना, दिनांक, समय पर वैदेही गैस एजेंसी के गोदाम से जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, से लोहे का वेल्टिलेशन निकालकर रात्रि गृह भेदन कर वहाँ रखी 107 एच.पी. कम्पनी की गैस की टंकिया चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3 के संबंधा में

9. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी सीताराम अ.सा.8 का कथन है कि उसने दिनांक 01.12.2009 को अभियुक्त अंतिम जैन से साक्षी प्रदीप एवं तरूण के समक्ष पूछताछ की थी तब उसने पप्प, राकेश, मिथुन, रसीद

व वसीम के द्वारा एच.पी. गैस कम्पनी की 107 भरी हुई टंकिया रूपये 1 लाख में खरीदना बताया था और यह भी बताया था कि 20 गैस की टंकिया भरी हुई सादिक बोहरा निवासी बड़नगर को रूपये 23,00 /— प्रतिनग में विक्रय करना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 3 का बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह दिनांक 02.12.2009 को अभियुक्त अंतिम को साक्षी प्रदीप एवं तरूण के साथ लेकर सादिक बोहरा की दुकान पर पहुँचा जहाँ सादिक के पेश करने पर एच.पी. गैस कम्पनी की 20 टंकिया प्रदर्शपी 5 के अनुसार जप्त की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अंतिम जैन ने दिनांक 03.12.2009 को साक्षी प्रदीप और तरूण के समक्ष अपने द्वारा क्रय की गई 107 टंकियों में 7 गैस टंकिया अपने घर में छिपाकर रखना होना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 4 का उसने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वह दिनांक 04.12.2009 को अभियुक्त अंतिम के घर माता मंदिर के पास फत्याबाद गोतमपुरा, जिला इन्दौर साक्षी प्रदीप व तरूण को लेकर पहुँचा और उसके घर से 5 एच.पी. कम्पपी की गैस टंकिया प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार 10 किया कि गैस टंकी के ऊपर टंकी के नम्बर लिखे रहते है, कौन-कौन से नम्बर की टंकिया चोरी हुई थी उसने उल्लेख नहीं किया है। उसने गैस एजेंसी का स्टॉक रजिस्टर भी जप्त नहीं किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने सादिक, निवासी सुभाष मार्ग बड़नगर को साक्षी नही बनाया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि चोरी का माल यह जातते हुए कि वह चोरी की सम्पत्ति है, खरीदना भा.द.स. की धारा 411 का अपराध है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जो टंकिया जप्त की थी वह अंतिम के घर से जप्त नहीं की थी और अंतिम के आधिपत्य से भी जप्त नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि सादिक के पेश करने पर अंतिम के बताये अनुसार अंतिम से जप्त की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अंतिम प्रतिवेदन पेश करते समय साक्ष्य सूची में मेमारेण्डम प्रदर्शपी ७ लगायत ९ एवं प्रदर्शपी १४ व १५ में साक्षियों के नाम नहीं लिखे हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अंतिम के घर से किस स्थान से टंकी जप्त की थी, इसका उल्लेख जप्ती पंचनामें में नहीं किया है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने घर के अंदर से लाकर पेश की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने इस संबंध में विवेचना नहीं की थी कि कौन से वाहन में टंकिया भरकर अभियुक्त ले गये थे और उसने वाहन मालिक को अभियुक्त नहीं बनाया और उसके कथन भी नहीं लिये। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन मालिक के द्वारा वाहन किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए दिया गया था, इस संबंध में भी विवेचना नहीं की है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह साक्षी तरूण एवं प्रदीप का लेकर बडनगर नहीं गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने गैस एजेंसी के मालिक के प्रभाव में आकर असत्य विवेचना की है।

- बद्रीलाल भाभर अ.सा.7 का कथन है कि उसने अभियुक्तों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त रसीद से साक्षी रघुनाथ एवं रूमालसिंह के समक्ष पूछताछ कर प्रदर्शपी 14 व 15 का मेमारेण्डम तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा अभियुक्त वसीम से हीरालाल एवं प्रकाश के समक्ष पूछताछ कर प्रदर्शपी 7 का मेमारेण्डम तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि किसी भी प्रकरण की विवेचना कर थाने के रोजनामचा में रवानगी एवं वापसी दर्ज की जाती है लेकिन उसने उक्त रोजनामचे की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त वसीम, राकेश के मेमोरेण्डम के आधार पर उससे कोई जप्ती नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अपराध में प्रयुक्त किया गया वाहन उसके द्वारा विवेचना के दौरान जप्त नहीं किया गया और मेमोण्डम प्रदर्शपी 5 में वाहन के नम्बर का भी उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अपराध में प्रयुक्त वाहन के स्वामी को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 14 एवं 15 के मेमारेण्डम मे वाहन का क्रमांक एम.पी. 13 जी.ए. 0359 लिखा है तथा प्रदर्शपी 7 के मेमोरेण्डम में वाहन का क्रमांक एम.पी. 11 जी.ए. 0354 लिखा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसे कोई सूचना नहीं दी थी या उसने असत्य विवेचना की है।
- 12. प्रदीप अ.सा. 4 तथा तरूण अ.सा.5, हीरालाल अ.सा. 6 अभियुक्तों के मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामें के साक्षीगण है, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्तों को पहचानने और उनके सामने पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही करने से इंकार कर अभियोजन के मामले का खण्डन किया है। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्नप पूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है, साक्षियों ने केवल प्रदर्शपी 3 लगायत 9 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर थाने पर करना बताया है। साक्षियों ने स्पष्ट किया कि वे पुलिस के साथ कभी भी बड़नगर या गौतमपुरा नहीं गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस के कहने पर उक्त हस्ताक्षर थाने पर किये थे।
- 13. ऐसी स्थित में जप्ती एवं मेमोरेण्डम के साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक कि चोरी करने में प्रयुक्त किये गये वाहन का नम्बर ज्ञात होने के बाद भी उसके चालक एवं मालिक को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है तथा जप्ती पंचनामें के साक्षियों का स्पष्ट कथन है कि वह पुलिस के साथ जप्ती करवाने के लिए बड़नगर या गोतमपुरा, जिला इन्दौर नहीं गये थे, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त वसीम, रसीद, मिथुन पिता अशोक ने घटना, दिनांक, स्थान व समय पर वैदेही गैस एजेंसी के आधिपत्य से एच.पी.गैस एजेंसी की 107 टंकिया चोरी की थी। यह भी

प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त अंतिम ने उक्त चोरी की सम्पित्त अभियुक्तों से बेईमानीपूर्वक आशय से प्राप्त की थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अंतिम जैन के विरूद्ध भादस की धारा 411 और अभियुक्त वसीम, रसीद एवं मिथुन पिता अशोक के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 457, 380 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 14. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तगण वसीम, रसीद एवं मिथुन के विरूद्व निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव उक्त अभियुक्तगण वसीम, रसीद एवं मिथुन को संदेह का लाभ देते हुए धारा 457, 380 भा.द.स. एवं अभियुक्त अंतिम जैन को भा.द.स. की धारा 411 के अपराध से में सदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त मिथुन न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसका रिकाई आदेश इस टीप के साथ जारी किया जाये कि यदि अभियुक्त मिथुन की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तुंरत रिहा किया जाये। शेष अभियुक्त रसीद, वसीम एवं अंतिम जैन के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15. अभियुक्त वसीम, रसीद, अंतिम जैन एवं मिथुन का अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये।
- 16. चूंकि प्रकरण के अभियुक्त राजेश उर्फ राकेश एवं पप्पु अनुपस्थित है, इसलिए जप्त सम्पत्ति के संबंध में आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड जिला—बडवानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड् (म०प्र०)

/ / धारा ४२८ दं.प्र.सं. के अंतर्गत / /

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्रेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म०प्र० आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरूद्व सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- दिलीप पिता नन्दू, आयु 27 वर्ष,

निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी

जिला–बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड् (म०प्र०)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत / / न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.11.2014 तक

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरूद्व सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :— सुनिल उर्फ गोलू पिता सुभाष, आयु 20 वर्ष निवासी— ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी जिला—बडवानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 29.10.2014 से निरंतर

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 31 दिवस बिताये हैं।

> (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0